झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची में

डब्ल्यू0पी0 (एस0) सं0–1108 वर्ष 2022

गुनेंद्र नाथ मंडल .... याचिकाकर्ता

बनाम्

1. झारखंड खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकरण, अपने अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक, धनबाद के माध्यम से।
2. सचिव, झारखंड खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकरण, धनबाद।
3. लेखा अधिकारी, झारखंड खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकरण, धनबाद।

.... उत्तरदातागण

कोरम : **माननीय न्यायमूर्ति श्री (डॉ0) एस0एन0 पाठक**

याचिकाकर्ता के लिए :– श्री जे0 मजुमदार, अधिवक्ता

सुश्री अनुष्का शर्मा, अधिवक्ता

उत्तरदाताओं के लिएः– श्री महावीर प्रसाद सिन्हा, अधिवक्ता

श्री संतोष कुमार झा, अधिवक्ता

02 / 20.06.2022 याचिकाकर्ता, जो झारखंड खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकरण (इसके बाद माडा के रूप में लिखा जाएगा) के कर्मचारी थे, 31 जनवरी, 2021 को संवानिवृत्त हो गए हैं। याचिकाकर्ता ने विभिन्न मदों और अन्य देय राशियों के तहत सेवानिवृत्ति के बाद लाभों का दावा करते हुए इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है, जैसा कि रिट याचिका के प्रार्थना

भाग में उल्लेख किया गया है, जिसे याचिकाकर्ता माडा से प्राप्त करने का हकदार है।

. याची के विद्वान वकील प्रस्तुत करते हैं कि यह पर्याप्त होगा यदि प्रबंध निदेशक, माडा को याची के दावे पर निर्णय लेने और याची के अभ्यावेदन पर एक उचित आदेश पारित करने का निर्देश दिया जाता है और आगे प्रबंध निदेशक, माडा को निर्देश दिया जाए कि वह योजना के अनुसार याची के स्वीकृत बकायों का भुगतान करें।

दूसरी ओर, माडा की ओर से पेश होने वाले विद्वान वकील को कोई आपत्ति नहीं है, यदि प्रबंध निदेशक, माडा को याची के अभ्यावेदन का निपटान करने और योजना के अनुसार उसके सेवानिवृत्ति के बाद के लाभों और अन्य लाभों के लिए याची को स्वीकृत देय राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया जाता है, जैसा कि रिट याचिका के प्रार्थना भाग में उल्लेख किया गया है।

चाहे जो भी हो, पक्षकारों की प्रस्तुतियों पर गौर करने के बाद और इस मामले के गुण–दोष पर जाए बिना, मैं याचिकाकर्ता को इस आदेश की एक प्रति प्राप्त होने की तारीख से छह सप्ताह की अवधि के भीतर इस आदेश की एक प्रति के साथ प्रबंध निदेशक, माडा के समक्ष अपने सेवानिवृत्ति के बाद के लाभों और विभिन्न शीर्षों के तहत अन्य लाभों का दावा करते हुए एक विस्तृत अभ्यावेदन दायर करने का निर्देश देता हूँ। इस तरह का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर, प्रबंध निदेशक, माडा द्वारा कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद के लाभों और अन्य लाभों के भुगतान के लिए तैयार की गई योजना के संदर्भ में याचिकाकर्ता के

दावे पर विचार करेंगे और अगले छह सप्ताह की और अवधि के भीतर एक तर्कसंगत आदेश पारित करेंगे। यदि कोई राशि देय पाई जाती है, तो उक्त राशि का भुगतान योजना के अनुसार उसके बाद के दो सप्ताह की अवधि के भीतर याचिकाकर्ता को किया जाएगा।

यदि प्रत्यर्थियों द्वारा याचिकाकर्ता के दावे के किसी भी हिस्से को अस्वीकृत या विवादित किया जाता है, तो इस तरह के अस्वीकार के कारणों को कथित अवधि के भीतर याचिकाकर्ता को सूचित किया जाना चाहिए।

उपरोक्त अवलोकन और निर्देश के साथ, रिट याचिका को निपटाया जाता है।

[(डॉ0) एस0एन0 पाठक, न्याया0)]